Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal of unit M/s IAN Macleod Distillers India Pvt. Ltd., Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP) for setting up of Malt Spirit Distillery (05 KLPD) at Plot No. A2, A3 & A4 of Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP) on 28/10/2021 at 11:30 AM in the premises of Common Facility Centre, Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP).

Environmental Public Hearing on the proposal of unit M/s IAN Macleod Distillers India Pvt. Ltd., Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP) for setting up of Malt Spirit Distillery (05 KLPD) at Plot No. A2, A3 & A4 of Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP) was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 28/10/2021 at 11:30 AM in the premises of Common Facility Centre, Industrial Area Pandoga, Sub Tehsil Ispur, Distt. Una (HP), as per the provisions of notification No-SO-1533(E) dated 14.09.2006. This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sh. Amit Kumar, Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I**.

In the Public Hearing, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of proposed Unit & their consultants, representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present.

First of all, Er. Praveen Kumar, Assistant Environmental Engineer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC cum Chairman, Environment Public Hearing.

Thereafter, Assistant Environmental Engineer, HPSPCB Una requested the Consultant of M/s IAN Macleod Distillers India Pvt. Ltd., to provide the detailed information of the proposed Malt Distillery Plant to the public. After the detailed description of various aspects of proposed Malt Distillery Plant by the consultant of the proposed unit, the Assistant Environmental Engineer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed Malt Distillery, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/Suggestions submitted
1.	Sh. Surinder Thakur, VPO Pandoga, Tehsil	He gave the example of the already established liquor factory in the industrial area of Mehatpur and said	The consultant of the proposed industrial unit said that no waste material would be discharged

	Haroli, Distt. Una (HP)	that if the proposed unit also spreads pollution in the area like the said liquor factory, then it will become difficult for the local people to live here. He referred the incident of flowing of chemicals in the Khad from the pharmaceutical company of the industrial area along with the rain water and asked the consultant that what arrangements have been made to prevent such incidents in the proposed unit. He demanded that the people of the local village should be given priority for employment in the proposed unit, so that they can work here and earn their living.	outside the proposed unit. The solid waste generated during the manufacturing process in the proposed unit will be used for making cattle feed. Waste water generated during the manufacturing process will be treated through Reverse Osmosis Process (RO) and the treated water will be used again within the unit. She informed that the proposed unit is based on Zero Liquid Discharge (Z.L.D) process in which the waste water generated in the plant will be reused within the plant after the treatment. She further informed that gutters would be constructed in the raw material storage rooms of the proposed unit. These gutters will be further connected with the large tanks, so that no material or raw material will flow out along with the water. She said that in the proposed unit there is proposal of employing total 77 persons and assured that the priority for the employment will be given to local people only.
2.	Sh. Sushil Kumar Dhiman, Ind. Area Pandoga, Distt. Una (HP)	He said that it is being told here that Air & Water Quality monitoring of the 6-7 locations in the area has already been conducted. In this connection, he asked the consultant when such monitoring was conducted and whether this monitoring was conducted in the presence of State Pollution Control Board Officials or they had been informed in this context. In addition to this, on the air quality monitoring carried out at Daulatpur which is far away from the proposed location, he asked the consultant what could be the impact of the proposed unit at such a distance. He also asked whether this monitoring was conducted throughout	The consultant of the proposed industrial unit replied that according to the guidelines of the Central Ministry, the quality of air and water has to be monitored within a radius of 10 km of the proposed location. Therefore, keeping account of the direction of air flow, the sites are selected for the assessment of the effect, out of which some places are close to the proposed location and some distant places are selected for the monitoring. She further said that this monitoring have to be carry out either in pre-monsoon time or in post-monsoon time and

		the year.	monitoring of air & water quality of the area for the impact assessment report of the proposed unit has been carried out in the months March to May. She also informed that according to the term of references, it is mandatory to study the quality of air and water in the area for obtaining environmental clearance and the draft report of this study has already been submitted to the State Pollution Control Board.
3.	Sh. Gurpal Singh, Up-Pradhan, Gram Panchayat Pandoga, Distt. Una (HP)	He said that Gram Panchayat Pandoga has no objection for the setting up of the proposed unit and he demanded that the priority in employment should be given to the unemployed people of the village in the proposed unit.	

In the end, Er. Praveen Kumar, Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental Public Hearing.

Amit Kumar, (I.A.S.)
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

मैसर्स इयान मैकलियोड डिस्टिलर्स इंड़िया प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा, ग्राम पंडोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) के प्लाट संख्या ए2, ए3 व ए4, औद्योगिक क्षेत्र पंड़ोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) में मॉल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी, कुल उत्पादन क्षमता 05 किलो लीटर प्रति दिन की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरणीय जनसुनवाई पर कॉमन फैसीलिटी सेंटर के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) में आयोजित पर्यावरणीय में उठाए गए मुद्दो का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 28.10.2021 को मैसर्स इयान मैकलियोड डिस्टिलर्स इंड़िया प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा, ग्राम पंडोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि. प्र.) के प्लाट संख्या ए2, ए3 व ए4, औद्योगिक क्षेत्र पंड़ोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) में मॉल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी, कुल उत्पादन क्षमता 05 किलो लीटर प्रति दिन की स्थापना के प्रस्ताव पर कॉमन फैसीलिटी सेंटर के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र पंडोगा, उप तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्याः एस. ओ. – 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त जिलाधीश ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित इकाई के प्रतिनिधि व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम, प्रवीण कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रतिनिधि व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने मैसर्स इयान मैकलियोड डिस्टिलर्स इंड़िया प्राइवेट लिमिटेड़ के परामर्शदाता को प्रस्तावित मॉल्ट स्पिरिट डिस्टिलरी की स्थापना के संबंध मे विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित इकाई के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित इकाई के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित औद्योगिक इकाई के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव
1.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर, गांव व डाकखाना पंडोगा, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर मे पहले से स्थापित शराब फैक्टरी का उदाहरण दिया और कहा कि अगर प्रस्तावित इकाई भी उक्त शराब फैक्टरी की भांति इलाके मे प्रदूषण फैलायेगी तो स्थानीय लोगो का यहां रहना दुश्वार हो जाएगा। उन्होनें औद्योगिक क्षेत्र की एक दवा निर्माता कंपनी के कैमिक्लयुक्त पानी के बरसात के पानी के साथ बहकर खडड् मे आने की घटना का जिक्र किया और पूछा कि

		लोगो का यहां रहना दुश्वार हो जाऐगा। उन्होनें औद्योगिक क्षेत्र की एक दवा निर्माता कंपनी के कैमिक्लयुक्त पानी के बरसात के पानी के साथ बहकर खडड् मे आने की घटना का जिक्र किया और पूछा कि प्रस्ताविक इकाई मे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रबंध किए गए है। उन्होने मांग की कि प्रस्ताविक इकाई मे रोजगार के लिए स्थानीय गांव के लोगो को ही प्राथमिकता दी जाए, जिससे वह यहां पर काम कर सके और अपना जीवन–यापन कर सके।	व्यर्थ का उपयोग मवेशी चारा/फीड बनाने मे किया जाऐगा। निर्माण प्रकिया के दौरान निकले व्यर्थ जल का उत्क्रम प्रसारण (आर.ओ.) के माध्यम से शोधन किया जाऐगा और इस जल को फिर से इकाई के अंदर प्रयोग मे लाया जाऐगा। उन्होने बताया कि प्रस्तावित इकाई एक जैड. एल.डी. आधारित इकाई होगी, जिसमे संयंत्र से निकलने वाले व्यर्थ जल को उपचारित करने के बाद संयंत्र मे ही पुनः उपयोग मे लाया जाऐगा। उन्होनें आगे बताया कि प्रस्तावित इकाई मे कच्चा माल के भंडारण कक्षो मे गटर का निर्माण किया जाएगा। यह गटर आगे बडे टैंको के साथ जुडे होंगे, जिससे कोई भी साम्रगी अथवा कच्चा माल पानी के साथ बह के बाहर नही जा सकेगा। उन्होनें बताया कि प्रस्तावित इकाई मे कुल 77 लोगो को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है जिसमे स्थानीय लोगो को ही प्राथमिकता दी जाऐगी।
2.	श्री सुशील कुमार धीमान, ओद्योगिक क्षेत्र पंडोगा, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि परामर्शदाता द्वारा यहां बताया गया है कि इलाके में 6 से 7 जगहों पर वायु एवं जल गुणवता की जांच करवाई जा चुकी है। इस संबंध मे उन्होनें पूछा कि यह जांच कब करवाई गई और क्या यह जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थति मे करवाई गई है या उन्हे इस संदर्भ मे सूचित किया गया था। इसके अलावा दौलतपुर जो कि प्रस्तावित स्थान से बहुत दूर है इसमे की गई वायु गुणवत्ता जांच पर उन्होनें परामर्शदाता से पूछा कि प्रस्तावित इकाई का इतनी दूरी पर क्या	प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की परामर्शदाता ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रालय के दिशा निर्देशो के अनुसार वायु एवं जल की गुणवता की जांच 10 किलोमीटर के दायरे मे की जानी होती है। अतः इसमे वायु प्रवाह की दिशा को ध्यान मे रखते हुए प्रभाव के आकलन के लिए स्थलो का चयन किया जाता है जिनमे से कुछ स्थल प्रस्तावित स्थान के नजदीक होते है और कुछ दूर स्थित स्थलो का चयन जांच के लिए किया जाता है। उन्होने आगे बताया कि यह जांच मानसून से पूर्व के समय या मानसून के बाद के समय मे की जाती है और प्रस्ताविक इकाई के प्रभाव आकलन

		प्रभाव हो सकता है। उन्होनें यह भी पूछा कि यह जांच क्या पूरे वर्ष की जाती है।	रिपोर्ट के लिए इलाके की वायु एवं जल की गुणवत्ता की जांच मार्च से मई के दौरान की गई है। उन्होनें यह भी बताया कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टर्म आफ रैफ्रैंस के अनुसार इलाके मे वायु एवं जल की गुणवत्ता का अध्यन करना अनिवार्य है और इस अध्यन की प्रारुप रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।
3.	श्रीमती गुरपाल सिंह उप प्रधान, ग्राम पंचायत पंडोगा, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि ग्राम पंचायत पंडोगा प्रस्ताविक इकाई की स्थापना से कोई आपत्ति नही है और उन्होनें प्रस्ताविक इकाई मे गांव के बेरोजगार लोगो को रोजगार मे प्राथमिकता दिये जाने की मांग रखी।	

अंतः मे श्री प्रवीण कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

अमित कुमार (भा.प्र.से.)
अतिरिक्त जिलाधीश,
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)